

## Multiple options to register for the **Voluntary Subsidy Scheme (VSS)**

Subsidy scheme can be availed using  
any of the following modes

### ONLINE :



Say "Hi" to 7011311111 via WhatsApp



Give a missed call on 7011311111



Scan the QR code on the subsidy  
form attached with your latest BSES  
bill



Click the SMS link received on your  
registered mobile number with BSES

### OFFLINE :



Walk-in to your respective  
BRPL/ BYPL Division Office  
with the subsidy form  
enclosed with your latest  
BSES bill

### Note:

- To avail the subsidy, only one mobile number can be used for one CA No.
- To raise request for another CA No., use a different mobile number.
- Voluntary Subsidy Scheme is applicable to the categories of subsidy beneficiaries namely Domestic Consumers, Agricultural Consumers, Special Subsidy to 1984 Sikh Riot Victims & Lawyers Chambers within the premises of the Court complexes in NCT of Delhi.







## वोलेंट्री सब्सिडी स्कीम (वीएसएस)


### के लिए रजिस्ट्रेशन विकल्प

सब्सिडी योजना का लाभ निम्न किसी भी विकल्प  
के माध्यम से उठाया जा सकता है

#### ऑनलाइन :

-  व्हाट्सएप के माध्यम से 7011311111 पर "Hi" लिखकर भेजें
-  7011311111 पर मिसड कॉल करें
-  अपने नवीनतम BSES बिल के साथ प्राप्त हुए सब्सिडी फॉर्म पर बने QR कोड को स्कैन करें
-  BSES में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS लिंक पर क्लिक करें

#### ऑफलाइन :

-  अपने नवीनतम BSES बिल के साथ मिले सब्सिडी फॉर्म को लेकर अपने संबंधित BRPL/ BYPL डिवीजन कार्यालय में जायें

#### नोट:

- सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, एक CAno. के साथ केवल एक मोबाइल नंबर प्रयोग किया जा सकता है।
- किसी अन्य CAno. हेतु अनुरोध करने के लिए, अलग मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।
- वोलेंट्री सब्सिडी स्कीम (वीएसएस) प्रावधान सभी उपभोक्ता श्रेणियों - घरेलू, कृषि, 1984 के सिक्ख दंगों के पीड़ितों के लिए विशेष सब्सिडी तथा अदालत परिसरों में वकीलों के चैंबर्स के लिए किया गया है।